प्रश्नपत्र 2 : व्यावसायिक विधान, नीतिशास्त्र और सम्प्रेषण

(PAPER 2 : BUSINESS LAWS, ETHICS & COMMUNICATION)

प्रश्न

भाग (अ) : व्यावसायिक विधान

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

1. (अ) एक रेलवे कम्पनी परेषिती को अमुक माल परिदत्त करने से मना कर देती है जब तक कि वह उसके वहन के लिए अवैध प्रभार न दे दे। परेषिती माल प्राप्त करने के लिए प्रभार की वह राशि संदत्त कर देता है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार परेषिती की विधिक परिस्थिति का निर्धारण कीजिए।

   (ब) श्री आनन्द, श्री बीरेन्द्र के साथ एक अनुबन्ध करता है कि अगर वह (आनन्द) कलकत्ते के भीतर एक शल्य चिकित्सक के रूप में व्यवसाय करेगा तो वह बीरेन्द्र को ₹ 5,000 देगा। आनन्द, कलकत्ते में शल्य चिकित्सक के रूप में व्यवसाय शुरू कर देता है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के संदर्भ में बीरेन्द्र को उपलब्ध अधिकार के बारे में चर्चा कीजिए।

2. (अ) श्री आदित्य श्री बिड़ला से एक पट्टा धारित करता है जो कि तीन महीने की सूचना पर समाप्त होगा। एक अप्राधिकृत व्यक्ति, नए आदित्य को पट्टे की समाप्ति का नोटिस देता है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के संदर्भ में जांच कीजिए कि क्या आदित्य को पट्टे की समाप्ति के लिये बाध्य किया जा सकता है?

   (ब) अ, जो स्वयं कलकत्ते में रहता है, सेरामपुर में एक दुकान का मालिक है और उस दुकान पर वह कभी–कभी जाता है। दुकान ब द्वारा प्रबंधित है और वह अ की जानकारी के साथ दुकान के प्रयोजन के लिए अ के नाम पर स से माल आदिष्ट करता रहता है और अ के कोष से उसका भुगतान करता रहता है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि क्या ब को अ के नाम पर व्यापार का संचालन करने के लिए अधिकृत किया गया है?

परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881

3. श्री वाईज़ श्री डीसेन्ट से एक क्रॉस चैक "परक्राम्य नहीं" लिखा हुआ कपटपूर्वक प्राप्त करता है। वह उस चैक को श्री T को अन्तरित कर देता है। T उस चैक को बैंक जो कि आदेशिती नहीं है, में प्रस्तुत कर नकद राशि प्राप्त कर लेता है। श्री वाईज़ द्वारा किए गए कपटपूर्ण कृत्य की जानकारी प्राप्त होने पर वह धन की वसूली के लिए बैंक के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करता है। परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 के प्रासंगिक प्रावधानों के सन्दर्भ में परीक्षण कीजिए कि क्या इस दावे में श्री डीसेन्ट सफल होगा। यदि श्री वाईज़ चैक को अन्तरित नहीं कर स्वयं ही बैंक से नकद राशि प्राप्त कर लेता है तो क्या आपका उत्तर वही रहेगा ?

© The Institute of Chartered Accountants of India

4. बाल भारती ने कुलभूषण के पक्ष में एक वचनपत्र ₹ 1 करोड़ के लिए निष्पादित किया। यह राशि दर्शन के तीन बाद देय थी। कुलभूषण ने परिपक्वता पर, 1 जनवरी, 2015 को बाल भारती को वचन–पत्र प्रस्तुत किया। बाल भारती ने 4 जनवरी, 2015 को भुगतान किया। कुलभूषण बाल भारती से एक दिन के ब्याज की वसूली करना चाहता है। बाल भारती को परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के सन्दर्भ में सलाह दीजिये कि क्या वह एक दिन के लिए ब्याज के भुगतान का उत्तरदायी है?

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

5. X, एक अस्थायी कर्मचारी, ₹ 3,500 प्रतिमाह पर एक प्रतिष्ठान में कार्य कर रहा था, जिस पर कि बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधान लागू थे। X के विरुद्ध चल रही जांच के दौरान वित्तीय वर्ष 2014–15 में उसे दो माह के लिए नियोजकों द्वारा प्रतिष्ठान में कार्य करने से रोक दिया गया। चूंकि उसके विरुद्ध कोई सबूत प्राप्त नहीं हुए अतः उसे पुनः नौकरी पर ले लिया गया। बाद में, जब अन्य कर्मचारियों को बोनस का भुगतान दिया जाना था, नियोजकों ने X को बोनस का भुगतान करने से इन्कार कर दिया, जबकि उसने वर्ष के शेष बचे 10 माह के लिए काम किया था। बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नियोजकों द्वारा X को बोनस का भुगतान करने से मना करने की वैधता का परीक्षण कीजिए।

6. X, कम्पनी का एक कर्मचारी, 31 मार्च, 2014 को सेवानिवृत्त हो गया और कुछ महीनों के बाद उसका निधन हो गया। X के उत्तराधिकारी ने निर्धारित समय के भीतर X को देय बोनस के भुगतान के लिये कम्पनी में आवेदन किया। कम्पनी ने बोनस का भुगतान करने से मना कर दिया। कम्पनी के इन्कार की वैधता की जांच करने और इसके साथ ही बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के तहत बोनस प्राप्त करने की प्रक्रिया बताइये।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

7. केन्द्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 6C के तहत कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना में संशोधन किया गया है। कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा (संशोधन) योजना, 2014 के तहत योजना में किए गए प्रासंगिक संशोधनों को बताइए।

8. क्या न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन के अधीन एक सदस्य की भविष्य निधि में जमा राशि की कुर्की की जा सकती है? कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में निर्धारित इस मुद्दे का विधिक परीक्षण करें।

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

9. उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत मौसमी साथ ही साथ अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारी के रूप में देय उपदान की गणना के तरीके समझाइए। अधिनियम के तहत देय उपदान की अधिकतम राशि भी बताइए।

10. उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत उपदान की राशि की वसूली के लिए संबंधित कानून क्या है? नियोक्ता द्वारा भुगतान नहीं की गई राशि के मामले में कानून क्या है?

© The Institute of Chartered Accountants of India

कम्पनी अधिनियम, 2013

11. क्या एक गैर–लाभकारी संगठन को कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? यदि हां तो इसे अपनाने के लिए क्या प्रक्रिया है?

12. एक सार्वजनिक कम्पनी के अनुच्छेद/अन्तर्नियम में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि श्री अ कम्पनी के वकील होंगे। कम्पनी ने शेयरधारकों के साथ अपनी साधारण बैठक में अन्तर्नियमों में परिवर्तन करके कम्पनी के वकील के रूप में अ के स्थान पर ब को नियुक्त करने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया। जांच करें कि क्या कम्पनी ऐसा कर सकती है? कारणों को स्पष्टतः बताइये।

13. कम्पनी ने एक प्रॉस्पेक्टस जारी किया। उसमें निहित सभी विवरण बिल्कुल सही थे। उसमें यह भी वर्णित था कि कम्पनी ने कई वर्षों तक लाभांश का भुगतान किया लेकिन इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि लाभांश का भुगतान व्यापार लाभ में से नहीं बल्कि पूंजी लाभों में से किया गया है। अंशों का एक आबंटी इस आधार पर अनुबंध से बचना चाहता है कि प्रॉस्पेक्टस में महत्वपूर्ण विवरण असत्य थे। निर्णय करें।

14. श्री जॉन, एक लिमिटेड कम्पनी के कुछ आंशिक रूप से प्रदत्त अंशों को धारण करता है। कम्पनी ने उससे अंशों पर अंतिम मांग का भुगतान करने के लिए कहा। किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण वह कम्पनी की मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ था। अंशधारकों की साधारण बैठक में अध्यक्ष उसे इस आधार पर वोट देने की अनुमति नहीं देता है कि अनुच्छेद/अन्तर्नियम अंशधारक को तब तक वोट देने की अनुमति नहीं देते जब तक कि उसके द्वारा धारित अंशों पर मांग राशि का भुगतान नहीं किया जाता। जॉन, अध्यक्ष के इस निर्णय के विरुद्ध वाद दायर करता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की चर्चा करते हुए तय कीजिए कि क्या जॉन का वाद मान्य है?

15. एम.एच. कम्पनी लिमिटेड ने अपने अंशधारकों को साधारण अधिवेशन की सूचना जारी की। सूचना में कहा गया कि इस तरह की बैठक में श्रमसाध्य समता अंशों के निर्गमन पर विचार किया जाएगा। श्री A, एम.एच. कम्पनी लिमिटेड का अंशरधारक, शिकायत करता है कि श्रमसाध्य समता अंशों के निर्गमन के बारे में सूचना में पूरी तरह से निर्दिष्ट नहीं किया गया। क्या कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एम.एच. कम्पनी लिमिटेड द्वारा श्रमसाध्य समता अंशों को निर्गमित करने के सम्बन्ध में जारी की गई सूचना वैध है? विस्तृत रूप में समझाइये।

भाग (ब) : नीतिशास्त्र

16. व्यावसायिक नीतिशास्त्र को अपनाने के क्या लाभ हैं?

17. "सी.एस.आर. का मतलब भिन्न लोगों के लिए भिन्न हो सकता है।" समझाइये।

18. निष्पक्षता और ईमानदारी व्यावसायिक नीतिशास्त्र के दिल में है और निर्णयकर्ताओं के सामान्य मूल्यों से संबंधित है। चर्चा कीजिए।

19. (i) 'व्यापारिक फर्म एक बड़े पारिस्थितिक प्रणाली का हिस्सा है', इस पंक्ति को स्पष्ट कीजिए।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) संयुक्त राष्ट्र के दिशा–निर्देशों द्वारा दिए गए विषयों को बताइये जो कि एक मजबूत उपभोक्ता नीति और उपभोक्ताओं की बेहतर सुरक्षा को विभिन्न चरणों और उपायों द्वारा विकसित करने, मजबूत बनाने और अनुरक्षित करने की अपील करते हैं।

20. उन पेशेवर दायित्वों के बारे में बताइये जिन्हें कि एक वित्त एवं लेखा पेशेवर एक कर्मचारी के रूप में पालन करने हेतु बाध्य है। संभावित संघर्ष के मामले में वे किस दबाव का सामना करते हैं?

भाग (स) : सम्प्रेषण

21. किसी भी संगठन में विभिन्न प्रकार के औपचारिक संचार के साथ–साथ उनके सम्भावित लाभ भी बताइए।

22. "एक सम्पूर्ण समूह हमेशा शासन करता है। एक अकेला आदमी हमेशा से नुकसान में रहता है।" इसे समझाते हुए समूह के व्यक्तित्व की विशेषताओं को बताइये।

23. "किसी भी संचार गतिविधि में संगठन का मूल्य एक प्रमुख तत्व है।" समझाइये।

24. साझेदारी विलेख के सामान्य समझौते का प्रारूप तैयार कीजिए।

25. 1 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 तक तीन महीने के वेतन खाते का विवरण प्रदान करने का अनुरोध करते हुए बैंक को एक पत्र लिखें।

सुझाए गए उत्तर/संकेत

1. **(अ)** दिया गया उदाहरण भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 72 द्वारा विनियमित किया जाएगा जो कि उस व्यक्ति के दायित्व से संबंधित है जिसे कि भूल या प्रपीड़न/उत्पीड़न के अधीन धन का संदाय या किसी चीज़ का परिदान किया जाता है। दिए गए प्रावधानों के अनुसार, जिस व्यक्ति को भूल से या उत्पीड़न के अधीन धन संदत्त किया गया है या कोई चीज़ परिदत्त की गयी है, उस व्यक्ति को भूल या उत्पीड़न के तहत परिदत्त किया गया धन या चीज़ उस व्यक्ति को प्रतिसंदाय या वापस करनी होगी जिसकी वह है।

यहां दिए गए तथ्य यह बताते हैं कि रेलवे कम्पनी परेषिती को अमुक माल परिदत्त करने से मना कर देती है जब तक कि वह उसके वहन के लिए अवैध प्रभार न दे दे। परेषिती माल प्राप्त करने के लिए उत्पीड़न के अधीन था, जब तक कि वह उसके वहन के लिए अवैध प्रभार का भुगतान न कर दे। परेषिती माल को अभिप्राप्त करने के लिए प्रभार की वह राशि संदत्त कर देता है। तदनुसार, परेषिती उस प्रभार में से उतना वसूल करने का हकदार है जितना अविधितः अधिक था।

(ब) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 74 के अनुसार, 'जबकि कोई संविदा भंग कर दी गयी है, तब यदि उस संविदा में ऐसी कोई राशि नामित हो, जो ऐसे भंग की अवस्था में संदेय होगी या यदि शास्ति के तौर का कोई अन्य अनुबन्ध उस संविदा में अन्तर्विष्ट हो, तो चाहे यह साबित किया गया हो या नहीं कि उस भंग से वस्तुतः नुकसान या हानि हुई है, भंग का परिवाद करने वाला पक्षकार उस पक्षकार

© The Institute of Chartered Accountants of India

से जिसने संविदा भंग की है, यथास्थिति, ऐसी नामित रकम से या अनुबद्ध शास्ति से अनधिक युक्तियुक्त प्रतिकर/हर्जाना पाने का हकदार होगा।

दी गई दशा में श्री आनन्द श्री बीरेन्द्र के साथ अनुबन्ध करता है कि अगर वह (आनन्द) कलकत्ते के भीतर एक शल्य चिकित्सक के रूप में व्यवसाय करेगा तो वह बीरेन्द्र को ₹ 5,000 देगा। आनन्द कलकत्ते में शल्य चिकित्सक के रूप में व्यवसाय शुरू कर देता है। प्रावधानों के अनुसार, चाहे यह साबित किया गया हो या नहीं कि उस भंग से वस्तुतः नुकसान या हानि हुई है, भंग का परिवाद करने वाला पक्षकार उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग किया है यथास्थिति, ऐसी नामित रकम से या अनुबंध शास्ति से अनधिक युक्तियुक्त प्रतिकर/हर्जाना पाने का हकदार होगा। तदनुसार, बीरेन्द्र उस प्रकार के मुआवजे के, जो कि न्यायालय उचित समझे और जो कि ₹ 5,000 से अधिक नहीं होगा, प्राप्त करने का हकदार होगा।

2. **(अ)** दी गई समस्या भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 200 पर आधारित है जिसके अनुसार अनाधिकृत कार्य का अनुसमर्थन/पुष्टिकरण पर व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता। प्रावधानों के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से, ऐसे दूसरे व्यक्ति के अधिकार के बिना किया गया कोई ऐसा कार्य, जो कि यदि अधिकार से किया जाता, तो किसी पर व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या किसी पर व्यक्ति के किसी अधिकार या हित को समाप्त करने का प्रभाव रखता, अनुसमर्थन या पुष्टि द्वारा ऐसा प्रभाव रखने वाला नहीं बनाया जा सकता।

दी गई परिस्थिति के अनुसार श्री आदित्य, श्री बिड़ला से एक पट्टा धारित करता है जो कि तीन महीने के नोटिस पर समाप्त होना था। C, एक अनाधिकृत व्यक्ति, आदित्य को पट्टे के पर्यवसान या समाप्ति की सूचना देता है।

तदनुसार, C (अनाधिकृत व्यक्ति) द्वारा दिए गए नोटिस की यदि पुष्टि की जाती है तो आदित्य के पट्टा समाप्ति में अधिकार या हित समाप्त हो जाएंगे। इसलिए C के अनाधिकृत कार्य की श्री बिड़ला द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकती, जो कि श्री आदित्य पर बाध्यकारी हों।

(ब) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 187 के अनुसार, एक प्राधिकार अभिव्यक्त कहा जाता है जबकि वह शब्दों द्वारा मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा दिया जाए। प्राधिकार विवक्षित होना कहा जाता है जबकि उसका अनुमान मामले की परिस्थितियों से करना हो और मौखिक या लिखित या व्यवहार के मामूली अनुक्रम के मामले की परिस्थितियों में गणना की जा सकेगी।

दिए गए मामले में, अ की दुकान का प्रबंधन ब द्वारा किया जाता है तथा वह (ब) दुकान के प्रयोजन के लिए स से माल आदिष्ट करता है और अ की जानकारी के साथ सम्बन्धित लेनदेन का अ के कोष से संदाय करता है। उपरोक्त प्रावधान यह दर्शाते हैं कि ब को अ से विवक्षित/गर्भित प्राधिकार है कि दुकान के प्रयोजन के लिए अ के नाम से स से माल आदिष्ट करे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

3. परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 130 के अनुसार साधारणतः या विशेषतः क्रॉस किये हुए ऐसे चैक को जिस पर "परक्राम्य नहीं है" शब्द लिखे हैं, लेने वाला व्यक्ति उस चैक पर उससे बेहतर हक न रखेगा और न देने के लिए समर्थ होगा जैसा कि उस व्यक्ति का था जिससे उसने लिया है। फलस्वरूप, यदि अन्तरकर्ता का स्वामित्व दोषपूर्ण है, तो अन्तरिती का स्वामित्व भी इस त्रुटि के कारण दोषपूर्ण हो जाएगा।

उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि धारक का स्वामित्व श्रेष्ठ है तो वह एक श्रेष्ठ स्वामित्व के साथ हस्तान्तरण कर सकता है परन्तु यदि अन्तरकर्ता का स्वामित्व दोषपूर्ण है तो अन्तरिती इस दोष से प्रभावित होगा और वह यह साबित करके कि उसने लिखत को सद्विश्वास और प्रतिफल के बदले क्रय किया है, सम्यक्–अनुक्रम के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

दिये गए मामले में मि. वाईज़ मि. डीसेन्ट से कपटपूर्ण तरीके से चैक प्राप्त करता है अतः उसके पास स्वामित्व नहीं है और वह बैंक को चैक या राशि के लिए श्रेष्ठ स्वामित्व नहीं दे सकता; तथा इस कारण बैंक चैक की राशि के नकदीकरण के लिए उत्तरदायी होगा। (ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कम्पनी बनाम लंदन एण्ड कंट्री बैंकिंग कम्पनी)

ऐसे मामले में, जहाँ मि. वाईज़ चैक का हस्तान्तरण नहीं करता और स्वयं बैंक से चैक का नकदीकरण करता है, तब जवाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ऊपर दिए गये कारणों के कारण एक ही रहेगा।

अतः श्री डीसेन्ट दोनों ही मामलों में बैंक से अपने दावे में सफल हो जाएगा।

4. **ब्याज का दावा** : परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 24 बताती है कि जहाँ कोई वचन–पत्र या विनिमय–पत्र उसमें लिखित तारीख से या दर्शन से या किसी निश्चित घटना के घटित होने के बाद देय है, ऐसी स्थिति में भुगतान का समय निर्धारित करने के लिए उस दिन को, जिस दिन वह समय शुरू होता है, छोड़ दिया जाएगा या अपवर्जित कर दिया जाएगा।

इसलिये दिए गए मामले में बाल भारती कुलभूषण के दावे पर आपत्ति करने में सफल होगा। बाल भारती ने "दर्शन के ठीक तीन दिन" बाद भुगतान किया जो कि 4 जनवरी थी। चूंकि बिल 1 जनवरी को प्रस्तुत किया गया था, बाल भारती द्वारा 4 जनवरी को ही भुगतान करना जरूरी था न कि 3 जनवरी, 2015 को, जैसा कि कुलभूषण द्वारा तर्क दिया गया।

5. **बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत बोनस का हकदार** : अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान/स्थापन का प्रत्येक कर्मचारी किसी लेखा वर्ष में, अपने नियोजक से बोनस प्राप्त करने का हकदार है बशर्ते कि कर्मचारी ने उस प्रतिष्ठान में वर्ष के 30 कार्यदिवस से कम कार्य न किया हो और वह ₹ 10,000 प्रतिमाह से कम का वेतन ले रहा हो। (धारा 2(13) को धारा 8 के साथ पढ़ा जाए।)

दिए गए मामले में, X ने प्रतिष्ठान में 10 माह के लिए कार्य किया और ₹ 3,500 वेतन के रूप में प्राप्त किया। इसलिए बोनस के लिए उसकी पात्रता स्थापित है। तथापि, यहाँ मुद्दा

© The Institute of Chartered Accountants of India

यह है कि क्या वह उन दो महीनों की अवधि के लिए बोनस प्राप्त करने का हकदार है जबकि वह अपने विरुद्ध किसी जांच के दौरान निलम्बित था। बाद में, वह आरोपों से मुक्त कर दिया गया और काम पर वापस ले लिया गया।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 14 में एक वर्ष के वे दिन दिये गये है जबकि एक कर्मचारी को प्रतिष्ठान में काम किया समझा जाता है भले ही वह वास्तव में काम की जगह उपस्थित नहीं था। उपरोक्त धारा के अंतर्गत एक कर्मचारी को एक लेखा वर्ष के दौरान निम्नलिखित दिनों पर भी काम किया माना जाता है :

(अ) वे दिन, जब किसी समझौते के अन्तर्गत अथवा औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 अथवा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अथवा प्रतिष्ठान के प्रति लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करके उसका कार्य बन्द कर दिया गया हो;

(ब) वह वेतन या मजदूरी के साथ छुट्टी पर था;

(स) अपने रोजगार के दौरान दुर्घटना के कारण हुई अस्थायी असमर्थता के कारण अनुपस्थित रहा हो; और

(द) वह कर्मचारी वेतन या मजदूरी के साथ प्रसूति छुट्टी पर रही हो।

प्रस्तुत मामले में, X एक जाँच की कार्यवाही के दौरान निलंबित कर दिया गया था; इसलिए वह दो माह के लिए कार्यालय में उपस्थित नहीं था। ये दो महीने कार्यदिवस के रूप में माने जायेंगे क्योंकि यह उचित ही है कि उसका निलंबन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत माना जाए।

इसलिए, X पूरे वर्ष (2014–2015) के लिए बोनस प्राप्त करने का हकदार होगा और उसके नियोजक द्वारा उसे बोनस के लिए इनकार करना गलत है।

6. दिए गए मामले में, मूल्यांकन करने का प्रमुख मुद्दा यह है कि क्या X 31 मार्च, 2014 को समाप्त लेखा वर्ष के लिए बोनस के लिए पात्र था। अगर हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा था तो उसके उत्तराधिकारी बोनस का दावा करने के पात्र हैं।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 19 के अंतर्गत नियोजक द्वारा कर्मचारी को लेखा वर्ष की समाप्ति के आठ माह के भीतर बोनस का नकद में भुगतान करना होगा, जो कि इस मामले में 30 नवम्बर, 2014 होनी चाहिए।

कम्पनी का इन्कार अधिनियम के तहत, अवैध है।

X के वारिस के लिए उपलब्ध उपाय बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 21 में निहित है जिसके तहत एक कर्मचारी, उसके समनुदेशिती या उसके वारिस बोनस देय होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर समुचित सरकार को राशि की वसूली के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर समुचित सरकार या विहित प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी राशि देय है, वह इस राशि के लिए कलेक्टर को प्रमाण–पत्र जारी करेगा जो इस राशि की वसूली के लिए उसी तरह से कार्यवाही करेगा जैसा कि भूमि आगम की वसूली के लिए करता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

7. कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बढ़ते सहयोग को सुनिश्चित करने के क्रम में, समय–समय पर कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना में संशोधन किए गये हैं।

भारत सरकार के श्रम और नियोजन मन्त्रालय ने दिनांक 29 अगस्त, 2014 को अधिसूचना जारी करके नवीनतम संशोधन लागू किया है। इस संशोधन द्वारा बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है जिसमें निम्नलिखित लाभों को शामिल किया गया है :

(अ) ई. डी. एल. आई योजना के तहत संवैधानिक मजदूरी सीमा ₹ 6,500 से ₹ 15,000 तक बढ़ा दी गई है।

(ब) ई. डी. एल. आई योजना के तहत बीमा लाभ मौजूदा स्वीकार्य लाभों के अतिरिक्त 20 % तक बढ़ा दी गई है।

इसमें इतना बड़ा संशोधन करने से पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (संशोधन) योजना अधिनियम, 1976 में कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (संशोधन) योजना अधिनियम, 2010 द्वारा संशोधन प्रस्तावित किया गया और फिर उसके बाद कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (संशोधन) योजना अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधन किया गया जिससे कि EDLI योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ में और संशोधन किये गये।

8. **भविष्य निधि की कुर्की** : कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 10 के अनुसार, वह धन राशि जो किसी सदस्य के नाम निधि में या किसी छूट प्राप्त कर्मचारी के नाम भविष्य निधि में जमा है, किसी प्रकार से समनुदिष्ट या भारित किए जाने के योग्य नहीं होगी और उस सदस्य या छूट प्राप्त कर्मचारी द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व के बारे में किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्क नहीं की जा सकेगी और न तो प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम के अधीन नियुक्त शासकीय समनुदेशिती और प्रान्तीय दिवाला अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई रिसीवर ऐसे किसी रकम का हकदार होगा या उस पर कोई दावा रखेगा।

वह रकम जो उपर्युक्त वर्णित श्रेणी के व्यक्तियों के नाम उसकी मृत्यु के समय जमा है और उस स्कीम/योजना या नियमों के अधीन उनके नामित व्यक्तियों को देय है, नामित व्यक्ति में निहित होगी और मृतक द्वारा उपगत या उस सदस्य या छूट प्राप्त कर्मचारी की मृत्यु के पूर्व उसके नामिति द्वारा उपगत किसी ऋण या अन्य दायित्वों से मुक्त होगी और किसी न्यायालय कि किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगी।

9. **उपदान राशि की गणना** :उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 में किसी कर्मचारी को देय उपदान/ग्रेच्युटी की राशि की गणना के तरीके दिये गये हैं:–

(i) **गैर मौसमी प्रतिष्ठान** : प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष या 6 महीने से अधिक उसके (कर्मचारी) हिस्से के लिए, नियोजक कर्मचारी को 15 दिनों की मजदूरी के दर से उपदान का भुगतान करेगा। यह दर, सम्बन्धित कर्मचारी ने अन्त में जिस दर से वेतन प्राप्त किया था, उस पर आधारित होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

मात्रानुपाती दर से दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले कर्मचारी के मामले में : दैनिक मजदूरी का आकंलन रोजगार की समाप्ति के तुरन्त पहले के 3 महीनों से उसके द्वारा प्राप्त वेतन के औसत पर उपदान/ग्रैच्युटी से होगा और इस उद्देश्य के लिए ओवरटाइम के कार्य के लिए दी गई मजदूरी की गणना नहीं की जाएगी।

माह वार मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी के मामले में : 15 दिनों की मजदूरी की गणना उसके द्वारा प्राप्त एक महीने के अन्तिम वेतन में 24 का भाग देकर उसमें 15 का गुणा करके की जायेगी।

(ii) मौसमी प्रतिष्ठान/स्थापन : मौसमी प्रतिष्ठानों के मामले में कर्मचारियों को दो समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(a) वह जो वर्ष भर कार्य करता है, और

(b) वह जो केवल मौसम के दौरान कार्य करता है।

पहले वाले में, प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष या 6 महीने से अधिक उसके हिस्से के लिए 15 दिनों की मजदूरी पाने का हकदार है। बाद वाले प्रत्येक मौसम के लिए 7 दिन की मजदूरी की दर से उपदान/ग्रैच्युटी पाने का हकदार है।

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4(3) के अन्तर्गत कर्मचारी को देय उपदान की राशि ₹ 10 लाख से ज्यादा नहीं होगी।

10. उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत उपदान की वसूली से संबंधित कानून :

(i) नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा कलेक्टर को प्रमाण–पत्र का मामला : उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 8 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अगर नियोजक इस अधिनियम के तहत देय उपदान राशि उस व्यक्ति को, जो इसका हकदार है, निर्धारित समय में अदा नहीं करता है तो नियंत्रक प्राधिकारी व्यथित व्यक्ति द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्र पर कलेक्टर को उस राशि के लिए एक सर्टिफिकेट जारी करेगा जो उस राशि पर ऐसी दर से, चक्रवृद्धि ब्याज सहित, जैसा कि केन्द्र सरकार निर्धारित करे, उस राशि को भूमि कर बकाया के रूप में वसूल करेगा और इसके हकदार व्यक्ति को अदा करेगा।

(ii) सुनवाई का पर्याप्त अवसर : ऐसी वसूली हेतु सर्टिफिकेट जारी करने से पहले, नियंत्रक प्राधिकारी नियोजक को, ऐसे सर्टिफिकेट जारी करने के विरुद्ध, कारण बताने का पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा।

(iii) ब्याज राशि : इस धारा के अन्तर्गत देय ब्याज राशि किसी भी सूरत में इस अधिनियम के तहत देय उपदान राशि से अधिक नहीं होगी।

11. गैर–लाभकारी संगठन का कम्पनी के रूप में पंजीकरण : कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8(1) के अनुसार, केन्द्र सरकार व्यक्ति या व्यक्ति संगम को कम्पनी अधिनियम के अधीन एक कंपनी के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दे सकता है यदि उनका उद्देश्य वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेल–कूद, शिक्षा, अनुसंधान, सामाजिक कल्याण, धर्म, दान, पर्यावरण का संरक्षण या किसी ऐसे अन्य उद्देश्य का संवर्धन करना है; और जो अपने लाभों

© The Institute of Chartered Accountants of India

को या अन्य आय को अपने उद्देश्यों के संवर्धन में लगाने का आशय रखता हो। तथापि ऐसी कंपनी अपने सदस्यों को किसी भी लाभांश का भुगतान करने के लिए निषेध है।

प्रक्रिया :

(i) **केन्द्र सरकार से अनुमति** : वे व्यक्ति संगम जो कि उपरोक्त गतिविधियों में से कोई भी या सभी या कुछ कार्य करने का उद्देश्य रखते हैं, इस अधिनियम के अन्तर्गत एक कंपनी के रूप में स्थापित होने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने का आवेदन करेगा।

(ii) **अनुज्ञप्ति जारी करना** : केन्द्र सरकार उपरोक्त से संतुष्ट होने पर उस संघ को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, और ऐसी शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, जारी कि गयी अनुज्ञप्ति द्वारा उसके नाम में यथास्थिति, ''लिमिटेड'' शब्द या ''प्राइवेट लिमिटेड'' शब्द जोड़े बिना, धारा 8(1) के अधीन लिमिटेड कम्पनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

(iii) **अनुज्ञप्ति जारी होने के बाद रजिस्ट्रार को आवेदन करना** : केन्द्र सरकार अनुज्ञप्ति जारी करने के बाद रजिस्ट्रार को विहित रूप में आवेदन करना चाहिए जिसके बाद रजिस्ट्रार धारा 8(1) के अधीन व्यक्ति संगम को कम्पनी के रूप में पंजीकृत/रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(iv) **एक सीमित कम्पनी के विशेषाधिकार और बाध्यताएं:** धारा 8(1) के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनी धारा 8(2) के अधीन सभी विशेषाधिकारों का उपभोग करेगी और एक लिमिटेड कम्पनियों की सभी बाध्यताओं के अध्यधीन होगी।

(v) **लाइसेंस का प्रतिसंहरण** : केन्द्र सरकार द्वारा जारी इस अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण किया जा सकता है और प्रतिसंहरण पर रजिस्ट्रार रजिस्टर में कम्पनी के नाम में "लिमिटेड" या "प्राइवेट लिमिटेड" शब्दों को जोड़ देगा। लेकिन इस तरह के प्रतिसंहरण से पहले केन्द्र सरकार अनुज्ञप्ति रद्द करने के अपने इरादे की कंपनी को एक लिखित सूचना देगी और इस मामले में प्रतिनिधित्व करने व सुनने का एक अवसर प्रदान करेगी।

12. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 10(1) के अधीन रहते हुए, ज्ञापन और अनुच्छेद, जब रजिस्ट्रीकृत हो, कम्पनी और उसके सदस्यों को उस सीमा तक बाध्यकर बनायेंगे मानो कम्पनी द्वारा और प्रत्येक सदस्य द्वारा उस पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये गये हों और उसमें कम्पनी तथा उसके पक्ष में ज्ञापन और अनुच्छेदों के सभी उपबन्धों का पालन करने की प्रसंविदाएं अंतर्विष्ट होंगी।

धारा 14(1) के अनुसार कोई कम्पनी इस अधिनियम के उपबन्धों और अपने ज्ञापन में अंतर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए विशेष संकल्प द्वारा अपने अनुच्छेदों/अन्तर्नियमों को बदल सकते हैं।

इसके अलावा धारा 14(2) के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा परिवर्तित अन्तर्नियम/अनुच्छेदों के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि विशेष संकल्प की प्रति आदि को 15 दिनों के भीतर

© The Institute of Chartered Accountants of India

और ऐसी रीति जो विहित की जाये, रजिस्ट्रार के पास जमा करानी होगी। सभी दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद रजिस्ट्रार उसे रजिस्ट्रीकृत करेगा।

इसके अतिरिक्त धारा 14(3) प्रावधानित करती है कि रजिस्ट्रीकृत अन्तर्नियमों का परिवर्तन विधि मान्य होगा मानो वह मूल रूप से अनुच्छेदों में थे।

प्रस्तुत मामले में, कम्पनी की सामान्य बैठक में सदस्यों द्वारा एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर अन्तर्नियमों को परिवर्तित कर दिया गया। इसलिए परिवर्तन वैध है और परिवर्तित अन्तर्नियम के रजिस्ट्रीकरण के बाद ब की नियुक्ति सही है और अ की नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

13. यदि प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसा कथन सम्मिलित है जो असत्य है या जहाँ किसी विषय के सम्मिलित या लोप किये जाने से भ्रम होने की संभावना है तब दोषी पक्षकारों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 34 और 35 के अधीन आपराधिक और सिविल दायित्व निर्धारित किये जायेंगे। आगे धारा 36 में किसी व्यक्ति को धोखे से धन का निवेश करने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए सजा का प्रावधान है।

हालांकि हमारे समक्ष प्रस्तुत मामला संभावित मिथ्याकथन के दायित्व के सम्बन्ध में नहीं है, बल्कि आबंटी द्वारा अंशों की खरीद के अनुबंध से बचाव के अधिकार के लिए है। यह निर्धारित करने के लिए, यह महत्वपूर्ण कारक तय करना है कि क्या किसी तात्विक तथ्य का गलत विवरण/मिथ्यावर्णन या तात्विक तथ्यों को छिपाया गया है और क्या यह मिथ्यावर्णन कपटपूर्ण है।

इस तथ्य का गैर–प्रकटीकरण कि लाभांश का भुगतान पूंजी लाभ में से किया गया है महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाना है क्योंकि सामान्यतः कम्पनी द्वारा केवल व्यापार या राजस्व लाभ में से लाभांश वितरित किया जाता है और असाधारण परिस्थितियों में पूंजी लाभ में से किया जा सकता है। अतः तात्विक मिथ्यावर्णन किया गया है।

इस प्रश्न का सीधा विषय अनुबंध पर मिथ्यावर्णन से होने वाले परिणाम से है और भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 द्वारा शासित है।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 19 निर्धारित करती है कि जबकि किसी करार के लिए सम्मति प्रपीड़न, कपट या गलत विवरण से कारित हो तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है जिसकी सम्मति से ऐसे कारित हुई थी।

इसलिए, दिए गए मामले में आबंटी, अंशों के आबंटन के अनुबंध से बच सकता है। (रेक्स बनाम लॉर्ड किल्सटन)

14. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 106(1) में कहा गया है कि कम्पनी के अनुच्छेद/अन्तर्नियम यह उपबंध कर सकेंगे कि कोई सदस्य अपने नाम से रजिस्ट्रीकृत ऐसे किन्हीं अंशों के सम्बन्ध में किसी मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जिन पर वर्तमान में उसके द्वारा संदेय कोई मांग राशियाँ या अन्य राशियाँ संदत्त नहीं की गई हैं या जिनके सम्बन्ध में कम्पनी ने किसी धारणाधिकार का प्रयोग किया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रस्तुत मामले में, कम्पनी के अन्तर्नियम अंशधारक को मतदान की अनुमति नहीं देते हैं अगर उसके द्वारा धारित अंशों पर माँग राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए, सभा में सभापति द्वारा अपने अधिकार के भीतर उसे सभा में मताधिकार के प्रयोग के लिए मना किया गया। अतः श्री जॉन का तर्क वैध नहीं है।

15. धारा 102(2) (ख) के तहत एक वार्षिक साधारण अधिवेशन के अतिरिक्त अन्य किसी अधिवेशन की दशा में सभी कारबार विशेष समझे जायेंगे।

आगे धारा 102(1) के अन्तर्गत किसी साधारण अधिवेशन में संव्यवहार किए जाने वाले विशेष कारबार की प्रत्येक मद से सम्बन्धित निम्नलिखित तात्विक तथ्यों को उपवर्णित करने वाला एक कथन ऐसा अधिवेशन बुलाने वाली सूचना के साथ संलग्न किया जाएगा :

(क) निम्नलिखित के सम्बन्ध में समुत्थान का स्वरूप या हित, वित्तीय या अन्यथा, यदि कोई हो :

(i) प्रत्येक निदेशक और प्रबंधक, यदि कोई हो;

(ii) प्रत्येक अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक; और

(iii) उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों के रिश्तेदार।

(ख) ऐसी अन्य सूचना और तथ्य जो कि सदस्यों को कारबार की मदों के अर्थ–विस्तार और विवक्षाओं को समझने में और उन पर विनिश्चय करने में समर्थ कर सकें।

इस प्रकार सदस्य की आपत्ति मान्य है क्योंकि श्रमसाध्य समता अंशों के बारे में पूरी जानकारी सूचना के साथ भेजी जानी चाहिए थी। अतः कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अन्तर्गत यह एक मान्य सूचना नहीं है।

16. व्यावसायिक नीतिशास्त्र को अपनाने के कई फायदे हैं :

1. **उन्नत समाज** : व्यावसायिक नीतियों को अपनाने से समाज उन्नत बन सकता है क्योंकि व्यवसाय द्वारा नैतिकता एवं न्यायसंगत तथा समान अधिकारों पर अधिक बल दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप स्पर्धारोधी कानून तैयार हुए, सरकारी अभिकरणों की स्थापना की गई और मजदूर संघों को पहचान मिली।

2. **प्रबन्धन में आसान परिवर्तन** : परिवर्तन के समय में, कई बार नेतृत्व को अच्छाई या बुराई का निर्धारण के लिये कोई नैतिक मानक या दिशा निर्देश उपलब्ध नहीं होते। कार्यस्थल पर नैतिकता पर सतत् ध्यान नेताओं व कर्मचारियों को संवेदनशील बनाता है जिससे वे अपनी कार्यशैली में एकरूपता ला पाते हैं।

3. **मजबूत संगठन और उल्लेखनीय उत्पादकता** : कार्यस्थल पर नैतिकता पर लगातार ध्यान देने से खुलेपन, एकता और सहभागिता का निर्माण होता है, जो कि कार्यस्थल/संगठन पर एक मजबूत टीम के महत्वपूर्ण गुण हैं जिससे कि प्रभावशाली प्रेरणा मिलती है व प्रदर्शन बेहतर होता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

4. **कर्मचारियों के विकास में वृद्धि :** कार्यस्थल पर नीतियों पर ध्यान देने से कर्मचारियों को वास्तविकता, गुण और दोष, दोनों का सामना करते समय मदद मिलती है और कार्य की जटिल परिस्थितियों को सुलझाने का विश्वास पैदा होता है।

5. **नीतिगत योजनाओं की मदद से कर्मचारी कल्याण नीतियों को विधिकता की गारण्टी मिलती है :** कर्मचारियों की नीतियों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कर्मचारियों को आचारगत उपचार उपलब्ध कराना है। नैतिकता के प्रति विशेष ध्यान द्वारा कार्यस्थल पर उच्च नीतिगत योजनाओं और प्रक्रियाओं को निश्चित किया जाता है। नीतिशास्त्र प्रबन्धन कार्यक्रम विविधता का प्रबन्धन करने में उपयोगी होते हैं।

6. **नीतिगत योजनाएं ''लोप'' के आपराधिक कार्यों से बचाने में मदद करती हैं और दण्ड को कम कर सकती हैं :** नीतिगत योजनाएं नीतिगत मुद्दे और उल्लघंनों को जल्दी खोजने में मदद करती हैं, अतः इन्हें जल्द ही प्रसारित अथवा सम्बोधित किया जा सकता है।

7. **नीतिगत योजनायें मूल्यवर्धन के साथ गुणात्मक प्रबन्धन, योजनागत रणनीति और प्रबन्धकीय विविधता की व्यवस्था में सहयोग प्रदान करती हैं :** नीतिगत योजनाएं उपयुक्त मूल्यों को चिह्नित करती हैं और इन मूल्यों के साथ संगठनात्मक व्यवहार का जुड़ा होना सुनिश्चित करती हैं। इस में मूल्यों का संग्रहित करना, नीतियों को विकसित करना और उपयुक्त मूल्यों के साथ आचरण/व्यवहार को जोड़ने की प्रक्रिया सम्मिलित है और तब सभी कार्मिकों को नीतियों और प्रक्रियाओं के विषय में प्रशिक्षित किया जाता है। उदाहरणार्थ, सम्पूर्ण गुणवत्तापूर्वक प्रबन्धकीय पहल में विशेष संचालनात्मक मूल्यों को उच्च वरीयता देना शामिल है। जैसे–हितधारकों के बीच विश्वास, निष्पादन, विश्वसनीयता, मापन और फीडबैक।

8. **नीतिशास्त्र एक मजबूत लोक छवि को प्रोत्साहित करता है :** वे संगठन जो अपनी नीतियों पर ध्यान देते हैं, आम जनता के बीच मजबूत एवं सकारात्मक छवि का चित्रण करते हैं। लोग देखते हैं कि ऐसे संगठन लाभ की अपेक्षा लोगों को ज्यादा मूल्य देते हैं और संगठन को एकता और सम्मान के साथ संचालित करने के लिए प्रयासरत हैं।

अतः व्यवसायों में नीतिगत मूल्यों के प्रबन्धन के साथ संगठनात्मक संस्कृति में संगतता और संतुलन उसे दृढ़ता प्रदान करते हैं, व्यक्ति और समूह के बीच विश्वास का सम्बन्ध बढ़ाते हैं, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने में अत्यन्त सहयोगात्मक भूमिका निभाते हैं, संगठनात्मक मूल्य और सन्देश के प्रभाव की प्रभाविकता को अभिसंचित करते हैं। अन्ततः आवश्यक रूप से व्यावसायिक नीति पर उपयुक्त ध्यान देना ही सही है।

17. निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर) नीतियों, कार्यक्रमों, शिक्षा और प्रथाओं का एक एकीकृत संयोजन है जो कि निगम की गतिविधियों और उन समुदायों तक पूरी तरह से फैला हुआ है जिसमें कि वे संचालित हैं। कम्पनियां स्वेच्छा से व्यापार का प्रबन्धन करती हैं जिससे समाज पर कुल मिलाकर सकारात्मक प्रभाव पड़े। सी. एस. आर. अलग–अलग लोगों के लिए अलग–अलग चीजों का मतलब हो सकता है :

© The Institute of Chartered Accountants of India

- एक कर्मचारी के लिए यह उचित मजदूरी, बिना भेदभाव के स्वीकार्य कार्य, शर्तें आदि का मतलब हो सकता है।
- एक अंशधारक के लिए पूंजी के उपयोग के संबंध में जिम्मेदार और पारदर्शी निर्णय लेने से हो सकता है।
- आपूर्तिकर्ताओं के लिए यह समय पर भुगतान प्राप्त करने का मतलब हो सकता है।
- ग्राहकों के लिए यह समय पर वितरण का मतलब हो सकता है।
- स्थानीय समुदायों और अधिकारियों के लिए यह प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाने का मतलब हो सकता है।
- गैर–सरकारी संगठनों और दबाव समूहों के लिये इसका मतलब व्यापारिक प्रथाओं और प्रदर्शन का प्रकटन जिसको कि ऊर्जा संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग से लेकर मानव अधिकार और पशुओं के अधिकार; वर्षावन की सुरक्षा और संकटग्रस्त प्रजातियों से लेकर बच्चे व बेगार मजदूरों के संरक्षण का मतलब हो सकता है।

एक कंपनी के लिए, तथापि, यह मात्र लोगों की आवश्यकताओं और चिंताओं की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जो कि कंपनी की सफलता को प्रभावित कर सकती है और/या जिसे कि कम्पनी अपने कारोबार की गतिविधियों, प्रक्रियाओं और उत्पादों के माध्यम से प्रभावित कर सकती है।

18. मुख्यतः नीतिगत मुद्दों को व्यापारिक साझेदारी, हितों में टकराव, निष्पक्षता और ईमानदारी तथा सम्प्रेषण के सम्बन्ध में विभाजित किया जा सकता है।

निष्पक्षता और ईमानदारी नीतिगत व्यापार का आधार है और जो कि निर्णयकर्ताओं के सामान्य मूल्यों से सम्बन्धित है। कम–से–कम व्यापारियों से उचित कानून और विनियम को अपनाने की आशा की जाती है। लेकिन कानून का पालन करने के अलावा उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे ग्राहकों, कर्मचारियों, मुवक्किल अथवा प्रतियोगियों को जानबूझकर धोखा, मिथ्यावर्णन, प्रपीड़न या भेदभाव द्वारा कोई भी हानि न पहुँचाए।

उत्पाद के उपयोग के कारण होने वाली सम्भावित हानि का खुलासा : ईमानदारी एवं निष्पक्षता व्यावसायिक नीतिशास्त्र के दिल में है। उदाहरण के लिए मित्सुबिशी मोटर्स, एक जापानी ऑटोमेकर, को आपराधिक आरोपों तथा नकारात्मक प्रसारण का सामना करना पड़ा जब उसके प्रबन्धन ने यह स्वीकार किया कि कम्पनी अपने उत्पादों एवं खर्चीले और उलझन भरे वापसी के आदेश से बचने के लिए पिछले 20 वर्षों से ग्राहकों की शिकायतों को योजनानुसार तरीके से ढक रही है।

निष्पक्षता का दूसरा पहलू **प्रतिस्पर्धा** से सम्बन्धित है, यद्यपि प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं और एकाधिकारवादी प्रथाओं को भी गैर–कानूनी बनाये गये हैं, कम्पनियाँ कभी–कभी विवादास्पद तरीकों से बाजार पर नियन्त्रण कर लेती हैं जो कि प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुँचाते हैं। उदाहरण के लिए, माइक्रोसॉफ्ट कम्पनी के प्रतिद्वन्द्वियों ने उस पर अपने इन्टरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र के साथ बाज़ार में प्रभुत्व पाने के लिए अनुचित तरीके और एकाधिकार पद्धति अपनाने का आरोप लगाया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

19. **(i)** प्रदूषण की समस्या तथा अन्य पर्यावरणीय मुद्दों को हमें अपने कर्त्तव्य के रूप में मानना चाहिए तथा पारिस्थितिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए जहां हम रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जीव–जन्तुओं और पर्यावरण का सम्बन्ध पारस्परिक एवं अन्योन्याश्रित (एक–दूसरे पर निर्भर) सम्बन्ध होता है जैसे कि एक झील में मछली जल में पाये जाने वाले छोटे जीव–जन्तुओं पर निर्भर होती है जो फिर क्षारित पौधों और मछली के अपशिष्ट उत्पादों पर निर्भर करते हैं। चूंकि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न भाग परस्पर सम्बन्धित होते हैं अतः इसके किसी भी एक भाग की गतिविधियाँ इसके अन्य सभी भागों को प्रभावित करेंगी। व्यापारिक फर्में (और अन्य सभी सामाजिक संस्थान) एक बड़े पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा होती हैं। जहाँ एक ओर व्यापारिक फर्में अपनी ऊर्जा, भौतिक संसाधन और अपशिष्ट निस्तारण हेतु (प्राकृतिक पर्यावरण पर) निर्भर करती हैं वहीं दूसरी और पर्यावरण इन व्यापारिक फर्मों की वाणिज्यिक गतिविधियों से प्रभावित होता है।

(ii) संयुक्त राष्ट्र के दिशा–निर्देश उपभोक्ता नीति को विकसित, मजबूत और कायम रखने के लिए सरकारों को अपील करते हैं तथा उपभोक्ताओं को और अधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ स्पष्ट उपाय उपलब्ध कराते हैं। ये आठ विषय हैं :

1. भौतिक सुरक्षा
2. आर्थिक हित
3. मानक
4. आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं
5. समाधान
6. शिक्षा और सूचना
7. स्वास्थ्य सम्बन्धी विशिष्ट क्षेत्र
8. सतत् खपत।

20. **एक कर्मचारी के रूप में एक लेखा एवं वित्त व्यवसायी के लिए** : एक वित्त एवं लेखा व्यवसायी, अपने व्यावसायिक कर्त्तव्यों के कारण कुछ मूलभूत सिद्धान्तों के अनुपालन हेतु बाध्य है। ऐसा कई बार होता है जबकि किसी नियोजन संस्था के प्रति उनकी जिम्मेदारियां और व्यावसायिक सिद्धान्तों के अनुपालन की बाध्यता परस्पर विरोध में हों।

व्यावसायिक कर्त्तव्य निम्नलिखित हैं :

(i) एक वित्त व लेखा व्यवसायी को नियोजक द्वारा स्थापित विधिसंगत और नीतिगत उद्देश्यों एवं उनकी पूर्ति के लिए बनाये गये नियम एवं पद्धतियों का समर्थन करना चाहिए।

(ii) तथापि, जहां मूलभूत सिद्धान्तों का अनुपालन आशंकित होता है, एक वित्त एवं लेखा व्यवसायी को उन स्थितियों के लिए प्रतिक्रिया करने का विचार करना चाहिए।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iii) नियोजक संस्था के प्रति जिम्मेदारियों के परिणामस्वरूप, एक वित्त एवं लेखा व्यवसायी इस प्रकार कार्य व व्यवहार करने के लिए बाध्य हो सकता है जिससे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूलभूत सिद्धान्तों का अनुपालन आशंकित हो। यह दबाव स्पष्ट या अन्तर्निहित हो सकता है; यह नियोजक संस्था के भीतर सुपरवाइज़र, प्रबन्धक, निदेशक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा घटित हो सकता है।

एक वित्त एवं लेखा व्यवसायी निम्नलिखित के लिए दबाव का सामना कर सकता है :

(i) विधि या विनियमन के प्रतिकूल कार्य।

(ii) तकनीकी या व्यवसायी मानकों के प्रतिकूल कार्य।

(iii) अनीतिगत या अवैधानिक उपार्जन संबंधी प्रबंधन योजनाओं को सरल एवं सुसाध्य बनाना।

(iv) झूठ बोलना, या जानबूझकर दूसरों को गुमराह करना (इसमें चुप रहना भी सम्मिलित है), विशेषत :

- नियोजक संस्था के लेखा परीक्षकों को; या
- नियंत्रक को।

(v) प्रकाशित करना, अथवा एक वित्तीय या अवित्तीय रिपोर्ट से सम्बद्ध होना जो कि तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करता हो, जिसमें कि निम्न से सम्बन्धित तथ्य भी शामिल हैं :

वित्तीय विवरण, कर–अनुपालन, विधि–अनुपालन, या प्रतिभूति नियंत्रक द्वारा मांगी गयी रिपोर्ट।

21. औपचारिक संचार/सम्प्रेषण के विविध प्रकार – कार्यक्षेत्र में औपचारिक संचार निम्न में से किसी भी रूप में हो सकता है :

(i) अधोगामी (नीचे की ओर) संचार/सम्प्रेषण – वरिष्ठ से अधीनस्थ तक सम्प्रेषण;

(ii) उपरिगामी (ऊपर की ओर) संचार/सम्प्रेषण – अधीनस्थ से वरिष्ठ तक सम्प्रेषण;

(iii) समानान्तर/समपार्श्विक संचार/सम्प्रेषण – विभिन्न उत्तरदायित्व वाले सहकर्मियों के बीच

सम्भावित लाभ :

(i) अधोगामी संचार से कर्मचारियों की गलतियों का शोधन/निदान किया जा सकता है और अधिक कार्य संतुष्टि व परिष्कृत मनोबल की प्राप्ति हो सकती है।

(ii) उपरिगामी संचार नयी समस्याओं को रोक सकता है तथा पुरानी का निदान कर सकता है और प्रबन्धकीय निर्णयों के प्रति स्वीकृति बढ़ सकती है।

(iii) समानांतर/समपार्श्विक संचारण – यह विभिन्न कर्त्तव्यों वाले कर्मचारियों के बीच बढ़ता सहयोग एवं संगठन के उद्देश्य के प्रति बढ़ती समझ प्रदान कर सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

22. **समूह–व्यक्तित्व की विशेषताएं** : समूह–व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं दी गई हैं :

(अ) **समरूपता की भावना** : व्यक्तिगत सदस्यों को शीघ्र यह महसूस हो जाता है कि दूसरों से पहचान, प्रशंसा और सम्मान पाने के लिए उन्हें समानता की भावना विकसित करनी पड़ती है। हमारे विश्वास, विचार और कार्यशैली को किसी एक व्यक्ति के विचार की अपेक्षा सामूहिक विचार अधिक प्रभावित करते हैं। चाहे वह किसी विशेषज्ञ के ही विचार क्यों न हों।

(ब) **समूह के मूल्यों का सम्मान** : प्रत्येक कार्यशील समूह कुछ निश्चित मूल्यों और आदर्शों को कायम रखना चाहता है जो कि उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। किसी समूह से प्रभावशाली ढंग से व्यवहार करने के लिए हमें उसके मूल्यों को समझना चाहिए जो इसके कार्यक्रमों और कार्यशैली को पहले से जानने के लिए हमारा पथ–प्रदर्शन करेंगे।

(स) **बदलाव का विरोध** : समूह स्वयं में परिवर्तन ला सकते हैं चाहे वह उनके मुखिया की आज्ञा से हो चाहे एकमत द्वारा। जिस हद तक का परिवर्तन का विरोध किया जाता है, वह उसके व्यक्तित्व का सूचक होता है और इससे हमें उसके साथ दक्षता से व्यवहार करने में मदद मिलती है।

(द) **समूह का पूर्वाग्रह** : जिस प्रकार कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से बमुश्किल स्वतन्त्र होता है उसी प्रकार समूहों के भी अपने स्पष्ट पूर्वाग्रह होते हैं। यह अलग बात है कि व्यक्तिगत रूप से सदस्य दूसरों की जाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के प्रति अपने पूर्वाग्रही व्यवहार को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन यह वास्तविकता है कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह तब तीव्र गति से बढ़ने लगते हैं जब वे समूह के दूसरे सदस्यों के सम्पर्क में आते हैं जो कि समान प्रकार के पूर्वाग्रह रखते हैं।

(य) **सामूहिक शक्ति** : व्यक्ति के मुकाबले समूह अधिक शक्तिशाली होते हैं चाहे वह व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। यही कारण है कि एक व्यक्ति समूह में अपने विचार प्रकट करने में कठिनाई महसूस करता है। हम सभी को ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो हमारे प्रति मित्रवत् व्यवहार अपनाते हैं, ऐसे लोग कभी नहीं जो कि समूह में हमें चुनौती देने को प्रस्तुत होते हैं।

अतः समूह हमेशा शासन करता है। इससे जुदा व्यक्ति हमेशा नुकसान उठाता है।

23. किसी भी प्रकार की संचार क्रिया में संस्था मूल्य प्रमुख तत्व होते हैं। व्यक्ति एवं संस्था हेतु ये मूल्य वे सिद्धान्त और विचार होते हैं जिन पर वे अत्यधिक विश्वास करते हैं और महत्वपूर्ण समझते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति अपने निर्णय के प्रति शंकित होता है तो वह तुरन्त गहरे जमें मूल्यों की मदद से सही निर्णय लेते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक विचार, इच्छाएं और कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों को देखते हुए संस्था में, सहभागी मूल्यों पर विश्वास करने से लक्ष्यों की स्थापना आसान हो जाती है।

किसी भी संस्था के मूल्यों के बारे में पता करने के लिए उसके भविष्य की योजना और मिशन के कथन का परीक्षण किया जा सकता है। ये कथन संस्था के उद्देश्यों का संक्षिप्त

© The Institute of Chartered Accountants of India

वर्णन होते हैं और सफलता प्राप्त करने की कोशिश के दिशानिर्देशक होते हैं। बहुत सी संस्थाएं अपने भविष्य की योजनाओं और मिशन के कथनों को बहुत सी जगहों पर भेजती हैं ताकि कर्मचारी संस्था मूल्यों को जान सकें।

24. साझेदारी विलेख

यह साझेदारी समझौता जनवरी, 2015 के .....दिन ..... शहर में ..... (बाद में प्रथम पक्षकार कहा गया है) और ..... (बाद में द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के मध्य बताये गये नियमों और शर्तों पर निष्पादित किया जाता है;

उपरोक्त पक्षकारों ने उल्लेखित शर्तों पर पारस्परिक सहमति दी है :

1. यह कि साझेदारी का नाम होगा .....
2. साझेदारी जनवरी, 2015 के ..... दिन ..... के व्यापार को संचालित करने के उद्देश्य से शुरू होगी और ..... वर्षों के लिए जारी रहेगी जब तक कि सूचना द्वारा लिखित रूप में अन्य पक्षकारों को, किसी भी पक्षकार द्वारा, इसके निर्धारण की सूचना नहीं दी जायेगी।
3. साझेदारों की पूँजी ₹ ..... होगी जो सभी साझेदारों द्वारा बराबर–बराबर अनुपात में दी जायेगी।
4. साझेदारों के बीच में लाभ–हानि बराबर बांटी जाएगी।
5. साझेदारी के लेन–देन और अन्य कार्यकलापों का उचित और नियमित विवरण रखा जायेगा और जो कि साझेदारी के कारोबार के मुख्य स्थान पर रखा जाएगा।
6. छमाही आर्थिक चिट्ठा और लाभ–हानि खाते सभी पक्षकारों की देख–रेख में तैयार किये जाएंगे, और प्रत्येक पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित किये जाएंगे जो कि तदनुसार बाध्य होंगे सिवाय तब जबकि त्रुटि खोजी जाये और उसे तीन महीने के भीतर सुधारी जाये।
7. कोई भी साझेदार साझेदारी के कारोबार के समान या संबंधित किसी भी अन्य व्यापार को नहीं करेगा।
8. किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर साझेदारी का समापन नहीं किया जायेगा।
9. उसकी भागीदारी से उत्पन्न किसी भी विवाद पर निर्णय करने के लिए मध्यस्थता के लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम और सभी पक्षकारों और उनके कानूनी प्रतिनिधियों पर बाध्यकारी होगा।

गवाहों की उपस्थिति में पूर्वोलिखित पक्षकारों ने इस साझेदारी विलेख पर हस्ताक्षर किए हैं।

गवाह	**हस्ताक्षर**
1.	प्रथम पक्षकार .....
2.	द्वितीय पक्षकार .....

© The Institute of Chartered Accountants of India

25. वेतन खाते से तीन महीने का विवरण प्रदान करने का अनुरोध करते हुये बैंक को पत्र (1 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 तक)

सेवा में,

प्रबंधक,

एक्सिस बैंक,

दिल्ली।

संबंध : 1 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 तक के वेतन खाता संख्या ..... का विवरण।

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपकी सम्मानित संस्था के साथ पिछले दस सालों से वेतन खाते को बनाए रखा है और यह भी कि हमारे परिवार की समस्त जमा पूंजी इस शाखा के साथ है।

मुझे उपरोक्त अवधि के अपने वेतन खातों के विवरण की जरूरत है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द विवरण उपलब्ध करायें।

धन्यवाद !

आपका विश्वासपात्र

(श्रीमान X)

(ग्राहक)

© The Institute of Chartered Accountants of India

मई, 2015 की इण्टरमीडिएट (IPC) परीक्षा के लिए उद्घोषणाओं/विधायी संशोधनों/परिपत्रों आदि की प्रयोज्यता

प्रश्नपत्र 1 : लेखांकन
(Paper 1 : Accounting)

लेखांकन मानक :

AS	1	:	लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण
AS	2	:	इन्वेंटरीज का मूल्यांकन
AS	3	:	रोकड़ प्रवाह विवरण
AS	6	:	ह्रास लेखांकन
AS	7	:	विनिर्माण अनुबन्ध (2002 में पुनरीक्षित)
AS	9	:	आय की मान्यता
AS	10	:	स्थायी सम्पत्तियों का लेखांकन
AS	13	:	निवेशों का लेखांकन
AS	14	:	संविलयन लेखांकन

प्रयोज्यता सम्बन्धी टिप्पणी : कम्पनी अधिनियम, 2013 की 30 सितम्बर, 2014 तक अधिसूचित धाराएं मई 2015 परीक्षा में लागू रहेगी और अन्य विधायी संशोधनों जिनमें शामिल हैं अधिसूचनाएं/परिपत्र/नियम/नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्गमित मार्गदर्शन के लिए कट-ऑफ तिथि 31 अक्टूबर, 2014 है।

मई, 2015 परीक्षा में Ind ASs लागू नहीं हैं : MCA ने अपनी वेबसाइट पर 35 भारतीय लेखांकन मानकों (Ind ASs) को प्रदर्शित किया हुआ है जिसकी प्रभावी तिथि नहीं है। विद्यार्थी ध्यान रखें कि ये Ind ASs मई 2015 की परीक्षा में लागू नहीं हैं।

प्रश्न-पत्र 2 : व्यावसायिक विधान, आचार नीतियां एवं सम्प्रेषण
(Paper 2 : Business Laws, Ethics and communication)

(i) **कम्पनी अधिनियम, 2013** : 30 सितम्बर, 2014 तक MCA द्वारा अधिसूचित धाराएं 1 से 122 तक मई, 2015 परीक्षा में लागू रहेंगी, निम्नांकित धाराओं को छोड़कर :

कपट के लिए क्षति u/s 75 अंशधारियों के अधिकार में विचरण u/s 48, अंशपूंजी में कमी u/s 66, ट्रिब्यूनल की AGM बुलाने की शक्ति u/s 97, सदस्यों आदि की सभा बुलाने की ट्रिब्यूनल की शक्ति u/s 98 एवं धारा 96 से 98 तक अनुपालना में त्रुटि पर सजाएं 4/5 99

अन्य विधायी संशोधनों के लिए जिसमें शामिल हैं प्रासंगिक अधिसूचनाएं/परिश्रमी/नियम/नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्गमित मार्गदर्शन के लिए कट–ऑफ तिथि 31 अक्टूबर, 2014 है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि कोष एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 :

1. कर्मचारी जमा आधारित बीमा (संशोधन) योजना, 2014
2. कर्मचारी पेन्शन (संशोधन) योजना, 2014

प्रश्नपत्र 4 : कराधान
(Paper 4 : Taxation)

वित्त अधिनियम, कर–निर्धारण वर्ष आदि की मई, 2015 की परीक्षा के लिए प्रयोज्यता

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा संशोधित आयकर एवं अप्रत्यक्षकर सम्बन्धी प्रावधान और 31 अक्टूबर, 2014 तक निर्गमित परिपत्र/अधिसूचनाएं मई, 2015 की परीक्षा में लागू हैं। प्रासंगिक कर–निर्धारण वर्ष 2015-16 है।

© The Institute of Chartered Accountants of India